संख्या:745/18(2)/2008-1(66)/08

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 01 दिसम्बर, 2008

विषयः- मै0 पौलीकैब वायर्स प्रा0लि0 ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर, तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार में औद्यौगिक प्रयोजन हेतु कुल रकबा 1.0050 है0 भूमि कय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 523/भूमि व्यवस्था-भू0क0 दिनांक 8-07-08 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 पौलीकैब वायर्स प्रा0लि0 को औद्योगिक प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके पत्र दिनांक 8-07-08 के द्वारा अनुमोदित संस्तुत खसरा नम्बरान के अनुसार जनपद हरिद्वार की तहसील रूड़की के ग्राम मुण्डियाकी परगना मंगलौर में कुल रकबा 1.0050 है0 भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजन के लिए सड़क निर्माण हेतु) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह

.....(2)

ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी ।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गयी भू क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के लिये वैध होगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 02 वर्ष के भीतर योजना का निर्माण कार्य पूरा कराना होगा।

7– स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध होगा।

8– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल उद्योग के कार्यस्थल तक राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्पर्क मार्ग/सडक मार्ग निर्माण के लिए किया जायेगा।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर जी0आई0डी0सी0आर0–2005 में दिये गये नियमों/मानकों के अनुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्लान के अनुसार सडक का निर्माण किया जायेगा।

10– इकाई को तहसील रूडकी, परगना मंगलौर के ग्राम दहियाकी के गाटा/ख0सं0 15/2, 17/4 तथा17/3 में उद्योग स्थापना करने पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

11– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। वर्तमान अनापत्ति/सहमति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है।

.....(3)

12— किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

13— भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14— योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/ संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियों/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

15— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने, भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
2— प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।
3— सचिव, श्रम एव रोजगार विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
5— निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
6— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2—न्यूकैन्ट रोड़, सिडकुल, देहरादून।
7— श्री टी0जे0सिंघानी, सी0एम0डी0, मै0 पौली कैब वायर्स प्रा0लि0 मुम्बई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
8— निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।